रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2005/पौष 15, 1926
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2005/PAUSA 15, 1926

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2005

का.आ. 24(अ).—जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5क की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 918(अ) दिनांक 12 अगस्त, 2004 में निम्नलिखित संशोधन, एतद्द्वारा करती है, नामश: :—

(1) उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (13) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित संख्याएं और प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट की जाएंगी, नामश: :—

(14)	डॉ. नारायण सिंह मानकलाओ, संसद सदस्य (राज्य सभा) गांव और डाकखाना मानकलाओ, जिला जोधपुर, राजस्थान (21 फिरोशाह रोड, नई दिल्ली)	सदस्य धारा 5(1)(i) के तहत
(15)	श्री जेसुदास सीलम, संसद सदस्य (राज्य सभा) म. नं. 6-195/11 दरिवाड़ा, कोठापालेम, बापतला, आंध्र प्रदेश (ए-51, निवेदिता कुंज, टाइप V क्वार्टर्स, सेक्टर 10 आर. के. पुरम, नई दिल्ली-22)	सदस्य धारा 5(1)(i) के तहत
(16)	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई, संसद सदस्य (लोक सभा) सी-7, एम. एस. फ्लैट्स, बी. के. एस. मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य धारा 5(1)(i) के तहत
(17)	श्रीमती मेनका गांधी, संसद सदस्य (लोक सभा) 14, अशोक रोड, नई दिल्ली	सदस्य धारा 5(1)(i) के तहत
(18)	श्री रविन्द्र कुमार राना, संसद सदस्य (लोक सभा) ए-4, एम. एस. फ्लैट, नई दिल्ली	सदस्य धारा 5(1)(i) के तहत
(19)	श्री बिजेन्द्र सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) 43, 45, साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली	सदस्य धारा 5(1)(i) के तहत

[फा. सं. 11-26/2003-ए डब्ल्यू डी]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

नोट: भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड को पुनर्गठित करने की मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 918(अ) दिनांक 12 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2005

S.O. 24(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 918(E), dated 12th August, 2004, namely :—

(1) in the said notification, after serial No. (13) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

(14)	Dr. Narayan Singh Manaklao, M.P. (Rajya Sabha) V. & P.O. Manaklao, Distt. Jodhpur, Rajasthan (21, Ferozeshah Road, New Delhi)	Member Under Section 5(1)(i)
(15)	Shri, Jesudasu Seelam, M.P. (Rajya Sabha) H.No. 6-195/11, Darivada, Kothapalem Bapatla, Andhra Pradesh, (A-51, Nivedita Kunj, Type V Qtrs, Sector 10, R. K. Puram, New Delhi-22)	Member Under Section 5(1)(i)
(16)	Shri Jaswant Sinh Bishnoi, M.P. (Lok Sabha) C-7, M.S. Flat, B.K.S. Marg, New Delhi	Member Under Section 5(1)(i)
(17)	Smt. Maneka Gandhi, M.P. (Lok Sabha) 14, Ashoka Road, New Delhi	Member Under Section 5(1)(i)
(18)	Shri Rabindra Kumar Rana, M.P. (Lok Sabha) A-4, M.S. Flat, New Delhi.	Member Under Section 5(1)(i)
(19)	Shri Bijendra Singh, M.P. (Lok Sabha) 43, 45. South Avennue, New Delhi	Member Under Section 5(1)(i)

[F. No. 11-26/2003-AWD]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Note : The principal notification reconstituting the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 918(E), dated 12th August, 2004.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.